फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

ार्थी / वादी		अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
ारमवीरसिंह	बनाम	मानसिंह वगैरह
़ेकस्म प्रकरण : प्रा.पत्र		मुकदमा नं. 105 / 2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
2.01.2026	पत्रावली तारीख पेशी से गिर आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान को आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकारान / अधिवक्तागण हाजिर नहीं आये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.07.2021 को तारीख पेशी दिनांक 13.07.2021 को आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसी प्रकार प्रकरण में वकील प्रार्थी ने भी बकाया पक्षकारान अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5 की तलबी नहीं हुई है। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 08.07.2021 से तलबी हेतु न्यायालय में विचाराधीन है। सीपीसी प्रावधानुसार उक्त प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग केतहत आते है जिनका निस्तारण 3 माह की अवधि में किया जाना होता है। जबकि उक्त प्रकरण को 5 वर्ष से तलबी स्तर पर ही लम्बित चल रहा है। उक्त प्रकरण में न तो प्रार्थी अधिवक्ता रूचि दिखा रहे है ना ही अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता रूचि दिखा रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 एक्ट–1955 प्रकरण हाजा में अधिवक्ता / पक्षकारान के गैर हाजिर रहने पर अदम हाजरी व अदम तकमील में खारिज किया जाता है। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	

Scanned with OKEN Scanner